न्यायालय:-प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड

जमानत आवेदन क्रमांक 147/18

सैनी उर्फ शुभम पुत्र महाराज सिंह जाटव आयु 21 वर्ष निवासी गांधी नगर वार्ड नंबर 16 गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.

---आवेदक

विरूढ

पुलिस थाना गोहद

----अनावेदक

23.04.18

आवेदक सैनी उर्फ शुभम की ओर से श्री गंभीर सिंह निगम अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक / राज्य की ओर से श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

आरक्षी केंद्र गोहद से अप०क० 77/18 धारा 323, 294, 452, 427, 336, 506, 147, 148, 149 भा0दं०सं० से संबंधित केस डायरी मय प्रतिवेदन प्राप्त।

आवेदक / अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री गंभीर सिंह निगम ने संबंधित जेएमएफसी न्यायालय से आवेदन पत्र धारा 437 दं0प्र0सं0 निरस्त हो जाने के उपरांत प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 के संबंध में निवेदन किया है कि उक्त प्रथम जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई आवेदन किसी भी समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निराकृत हुआ है।

आवेदक के जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 पर उभयपक्ष को सुना गया।

आवेदक / अभियुक्त की ओर से निवेदन किया गया है कि कथित अपराध में पुलिस थाना गोहद द्वारा आवेदक को गलत रूप से अभियुक्त बनाया है, जबिक फरियादी भानुप्रताप सिंह तोमर की लेखीय रिपोर्ट में आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट व धारा 161 दं0प्र0सं0 में आवेदक का नाम नहीं है। आवेदक निर्दोष है तथा उसे झूंठा फंसाया गया है। उक्त अपराध के अलावा अन्य अपराध कमांक 81/18 व 83/18 में भी आवेदक को अभियुक्त बना दिया है। मामला जेएमएफसी न्यायालय द्वारा विचारणीय है। आवेदक दिनांक 06.04.18 से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण के निराकरण में काफी समय लगेगा। अतः इन्हीं सब आधारों पर उसे जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया है तथा समर्थन में सम्मानीय न्यायदृष्टांत बल्लू यादव उर्फ बलवीर सिंह यादव विरुद्ध म0प्र0 राज्य 2014 (।)। एमपीडब्लूएन 102 प्रस्तुत किये हैं।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अपराध को अति गंभीर स्वरूप का होना बताते हुये जमानत आवेदन पत्र का विरोध कर उसे निरस्त करने का निवेदन किया है।

उपरोक्तानुसार उभयपक्ष के निवेदनों पर विचार करते हुये न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कैफियत सिहत संपूर्ण केस डायरी का अवलोकन किया गया जिससे दर्शित है कि अभियोजन अनुसार दिनांक 02.04.18 को फरियादी भानुप्रताप सिंह अपने मकान में स्थित किराने की दुकान पर बैटा था, उस समय वार्ड कमांक 16 के पार्षद पति वेदराम जाटव व बल्लू समेर के साथ लगभग 200 लोग हाथों में पत्थर, लाटियाँ लेकर आ गये और दुकान के शटर डालने लगे, मना करने पर उसके उपर लाटियों व पत्थरों से हमला कर दिया, जिससे उसके सिर व नाक में चोट आई व खून निकलने लगा तथा मकान के शीशे आदि तोड़ दिये एवं भीड़ ने दुकान के अंदर आकर लूटपाट की।

उक्त घटना की फरियादी भानुप्रताप सिंह द्वारा लिखित रिपोर्ट किये जाने पर अभियुक्तगण वेदराम, बबलू, राजाराम, चिंतामणी, सचिन व अन्य 200 सहअभियुक्तगण के विरुद्ध पुलिस थाना गोहद में अप०क० 77/18 धारा 323, 294, 452, 427, 336, 506, 147, 148, 149 भाठदं०सं० पंजीबद्ध किया गया है। मामले में अन्य अभियुक्तगण की गिरफतारी सुनिश्चित नहीं हुई है तथा आवेदकगण/अभियुक्तगण के उक्त कृत्य के परिणामस्वरूप बल एवं हिंसा के प्रदर्शन के कारण समाज में भय एवं असुरक्षा का वातावरण निर्मित करना व सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना एवं लोकशांति भंग करना बताया गया है, जो कि गंभीर प्रकृति का अपराध है तथा वर्तमान परिवेश में इस तरह की घाटनाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। साथ ही जमानत के इस प्रक्रम पर मामले के गुण—दोषों पर विचार नहीं किया जा सकता है तथा वर्तमान प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियां प्रस्तुत दोनों सम्मानीय न्यायदृष्टांतों के तथ्य एवं परिस्थितियों से मेल नहीं खाने के कारण उनका कोई लाभ आवेदक पक्ष का नहीं दिया जा सकता है।

अतः अपराध की गंभीरता सहित मामले के संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुये आवेदक / अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उसकी ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं०प्र०सं० स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति सहित केश डायरी संबंधित थाने को विधिवत बापस की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(सतीश कुमार गुप्ता) प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद